47/2025 –संजय कुमार बनाम. आकर्षित निगम आदि

UPSI180001482025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद संख्या–36/2025

संजय कुमार बनाम आकर्षित निगम आदि।

वाद की प्रकृति	**निरस्तीकरण बैनामा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**1089 रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री मनोहर लाल सिंह**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**27.01.2025**

यह वाद–पत्र वादी द्वारा वास्ते निरस्तीकरण बैनामा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोहर लाल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र–6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक–04.03.2025 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6 ग 2

वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत वाद–पत्र की धारा–2 में वर्णित भूमि गाटा संख्या–769 रकबा 0.572 हे० जिसकी चौहद्दी पूरब–खेत रोज तफ्सीर इन्फ्रा० प्रा०लि० प्रबन्धक गफ्फार खान, पश्चिम–रास्ता इंटरलॉकिंग, उत्तर–रास्ता खड़ंजा व दक्षिण–खेत हरीराम यादव स्थित ग्राम सिधौली, परगना बाड़ी, जिला सीतापुर पर प्रतिवादीगण उनके अनुयायी कारिन्दों आदि को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने, विधि विरुद्ध तरीके से कब्जा करने, विक्रय करने आदि से रोकते हुए वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची–8 ग 1 से एक किता पंजीकृत विलेख दिनांकित–04.09.2024, एक किता खतौनी फसली वर्ष 1428–1433, एक किता खसरा गाटा संख्या–769, एक किता मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल में विचाराधीन अपील संख्या–5447/2024 के प्रश्नोत्तर की प्रति, एक किता पेज नंबर–57 से 61 तक चेक एवं बाउंसिंह मेमो की प्रति, एक किता पेज नंबर–62 से 64 तक थाने पर दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति, एक किता पेज नंबर–65 से 78 तक विपक्षी संख्या–1 को भेजी गयी विधिक नोटिस की प्रति डाक रसीद सहित व 700/–रुपये की कोर्टफीस मय आधार कार्ड वादी क्रमशः कागज संख्या–9 ग 1 लगायत 18 ग 1 दाखिल पत्रावली की गयी है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनाँक–04.03.2025 हेतु जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक–04.03.2025 को पेश हो।

दिनांकः27.01.2025

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code–UP3555

vijay/–

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2025.01.27 17:50:34 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M Mahmudabad
Sitapur.